बिहार सरकार

योजना एवं विकास विभाग

पत्रांकः योoलेo3/3–71/2025–716 /योoविo,पटना,दिनांक 26. सितम्बर, 2025

स्वीकृत्यादेश

विषयः **वित्तीय वर्ष 2025–26 एवं 2026–27 अंतर्गत योजना एवं विकास विभाग के नियंत्रणाधीन योजना भवन, औरंगाबाद के निर्माण हेतु मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, बिहार, पटना द्वारा तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलित राशि ₹ 1488.00 लाख रूपये मात्र पर प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।**

आदेशः **स्वीकृत।**

उपर्युक्त विषयक वित्तीय वर्ष 2025–26 एवं 2026–27 अंतर्गत योजना एवं विकास विभाग के नियंत्रणाधीन योजना भवन, औरंगाबाद के निर्माण हेतु मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, बिहार, पटना के पत्रांक 3316 दिनांक 09.09.2025 द्वारा तकनीकी अनुमोदित राशि ₹1488.00 लाख का प्राक्कलन उपलब्ध कराया गया है। जिसकी विवरणी निम्नलिखित है :–

क्र0	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि
1	औरंगाबाद जिला मुख्यालय में योजना भवन का निर्माण कार्य	₹ 1488.00 लाख
	कुल	₹ 1488.00 लाख

2. उक्त योजना का प्राक्कलन मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, बिहार, पटना द्वारा तैयार कर तकनीकी अनुमोदन दिया गया है।

3. उक्त योजना की तकनीकी अनुमोदित कुल राशि ₹1488.00 लाख पर निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

(i) उक्त योजना का कार्यान्वयन कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल–01, औरंगाबाद द्वारा किया जाएगा।

(ii) स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल–01, औरंगाबाद होंगे।

(iii) राशि की निकासी एवं व्ययन में बिहार कोषागार संहिता तथा बिहार वित्तीय नियमावली के सुसंगत प्रावधानों तथा वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों का अक्षरशः पालन किया जायेगा।

4. प्रशासनिक स्वीकृति की राशि ₹1488.00 लाख का विकलन वित्तीय वर्ष 2025–26 एवं 2026–27 अंतर्गत मांग संख्या–35, मुख्य शीर्ष–4070–अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–051–निर्माण, उप शीर्ष–0109 योजना तंत्र का सुदृढ़ीकरण, जिला स्तरीय योजना के तहत स्थायी आवश्यकताओं के आलोक में विपत्र कोड–

35–4070000510109 के विषय शीर्ष 5301 मुख्य निर्माण कार्य के तहत होगा, जिसके अंतर्गत बजट उपबंध है।

5. प्रस्ताव एवं आदेश पर विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/- 26.9.25

(रविश किशोर)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः यो0ले03/3–71/2025–716 /यो0वि0,पटना,दिनांक 26 सितम्बर, 2025

प्रतिलिपिः कोषागार पदाधिकारी, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/- 26.9.25

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः यो0ले03/3–71/2025–716 /यो0वि0,पटना,दिनांक 26 सितम्बर, 2025

प्रतिलिपिः वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना/जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद/क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी, मगध प्रमंडल, गयाजी/अधीक्षण अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य अंचल, मगध प्रमंडल, गयाजी/जिला योजना पदाधिकारी, औरंगाबाद/कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल–01, औरंगाबाद/विभागीय लेखा एवं बजट शाखा/आई टी0 मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आई टी0 मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि इस स्वीकृति को विभाग के साइट पर अपलोड कर दें।

ह०/- 26.9.25

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः यो0ले03/3–68/2025–716 /यो0वि0,पटना,दिनांक 26 सितम्बर, 2025

प्रतिलिपिः प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/- 26.9.25

सरकार के संयुक्त सचिव

5 आई.टी. मैनेजर